कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश कमांक:— शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैदरीपुरा, उनियारा टौंक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामोली उदयपुर एवं श्री घनश्याम बैरवा, प्रधानाचार्य, राउमावि, सामोली उदयपुर को राउमावि हैदरीपुरा उनियारा जिला टौंक में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3411/2019 महावीर प्रसाद अग्रवाल बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य दायर की गई। माननीय अधिकरण ने उक्त अपील में दिनांक 18.11.2019 को विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं कियान्वयन अपीलार्थी महावीर प्रसाद अग्रवाल के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। अतः माननीय अधिकरण के अंतरिम आदेश के कम में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.12.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल को राउमावि, हैदरीपुरा टौंक एवं श्री घनश्याम बैरवा, प्रधानाचार्य को आदेशों की प्रतीक्षा में जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक टौंक (तत्पश्चात् एपीओ पदस्थापन आदेश 24.12.19 से राउमावि सिमरा करौली) में माननीय अधिकरण द्वारा विचाराधीन अपील मे दिये जाने वाले आगामी एवं अंतिम निर्णयाधीन किया गया था।

अपीलार्थी श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, प्रधानाचार्य, राउमावि हैदरीपुरा टौंक के दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी के स्थानान्तरण के संबंध में विचाराधीन अपील 3411/2019 स्वतः निष्प्रभावी हो गई, तदन्तर उक्त अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.11.2019 एवं विभागीय आदेश दिनांक 17.12.2019 भी निष्प्रभावी हो गये हैं। अतः विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 के प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप श्री घनश्याम बैरवा, प्रधानाचार्य, राउमावि सीमरा, करौली को उक्त स्थानान्तरण आदेश के कम में राउमावि, हैदरीपुरा,टौंक में कार्यग्रहण की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक–शिविरा/मा/संस्था/बी–2/अपील/3411/2019 दिनांक 23.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत —

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर को आवश्यक कार्यवाही बाबत।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर प्रकाशनार्थ ।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय माध्यमिक करौली/टौंक
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि अपील में उपरोक्त विवरण के आधार पर अपील खारिज की कार्यवाही करावें।
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. श्री घनश्याम बैरवा, प्रधानाचार्य, राउमावि सीमरा, करौली
8. प्रधानाचार्य, राउमावि, हैदरीपुरा,टौंक
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)